अध्याय 5

जो वन और भूमियाँ सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं उन पर नियंत्रण के सम्बन्ध में

धारा 35. विशेष प्रयोजनों के लिये वनों का संरक्षण - (1) राज्य सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा किसी वन या पड़त भूमि (Waste land) में :

(क) खेती के लिये भूमि तोड़ना या साफ करना।

(ख) पशु चराना (या)

(ग) वनस्पति (Vegetation) को जलाना या साफ करना।

(घ) पौधों या वृक्षों का काटना।

उस सूरत में विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी जिसमें कि ऐसा विनियमित या प्रतिषेध निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक के लिए आवश्यक प्रतीत होता है अर्थात्

(i) आंधी (Storms), तेज हवा (Winds), लुढकते पत्थर (Rolling Stones), बाढ़ (Floods), और हिमानी (Avalanches) से संरक्षण।

(ii) पहाड़ी भूभागों के शिखरों, ढलानों एवं घाटियों पर मृदा का परिरक्षण (Soil preservation), भूस्खलन (Landslips) या खादर (Ravines) और बेगधारा (Torrents) के बनने से रोकना, या भूमि का कटाव (Soil erosion) या उस पर बालू, पत्थर, बजरी के जमाव से भूमि का संरक्षण।

(iii) झरना (Springs), नदियों, तालाबों में जलपूर्ति बनाये रखना।

(iv) मार्गों, पुलों, रेलों के संचार मार्ग एवं अन्य मार्गों का संरक्षण।

[1](iv-a) वनों की हानि को रोकने एवं वनों के विकास एवं सुरक्षा के लिये।

(v) लोक स्वास्थ्य (Public Health) का परिरक्षण (Preservation)

(2) राज्य सरकार, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये, ऐसे संकल्प कार्य (Works), जैसे वह ठीक समझती है, किसी वन या पड़त भूमि पर अपने व्यय से बनवा सकेगी।

(3) जब तक कि ऐसे वन या भूमि के स्वामी को इस बात के समाहित करने वाली सूचना दे दी गई हो कि तुम ऐसी सूचना से विनिर्दिष्ट, युक्तियुक्त कालावधि के अन्दर यह हेतुक दर्शित करो, कि यथास्थिति ऐसी अधिसूचना क्यों न निकाली जावे या संकल्प (Work) क्यों न बनाया जावे और जब तक कि उन अपेक्षाओं की, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य की, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, सुनवाई उस अधिकारी द्वारा न की जा चुकी हो जो इस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, और राज्य सरकार उस पर विचार न कर चुकी हो, तब तक धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना नहीं निकाली जावेगी और न ही उपधारा (2) के अधीन कोई कार्य (Work) आरम्भ किया जावेगा।

धारा 36. वनों का प्रबन्ध संभालने की शक्ति - (1) 35 के अधीन किसी विनिमय या प्रतिषेध की अपेक्षा या जानबूझकर अवज्ञा की दशा में या, उस धारा के अधीन होने वाले संकल्प (Work) के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि के स्वामी को लिखित सूचना के पश्चात् तथा उस सूचना पर उसके आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् उसे वन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कर सकेगी और घोषित कर सकेगी कि आरक्षित वनों से सम्बन्ध इस अधिनियम के सब उपबन्ध या उसमें से कोई उपबन्ध इस भूमि पर लागू होंगे।

(2) ऐसे वन या भूमि के प्रबन्ध से उत्पन्न होने वाले शुद्ध लाभ, यदि कोई हों, तो उक्त भूमि के स्वामी को दिये जावेंगे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 26 वर्ष 1950 से (IV-a) जोड़ा गया।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 26 वर्ष 1950 द्वारा धारा 36 (3) जोड़ी गई।

[1](3) शुद्ध लाभ की गणना करते समय वन के कार्य एवं प्रबन्ध में कुल किये गये खर्च की गणना, गणना की तिथि तक तथा कार्य व प्रबन्ध से प्राप्त कुल लाभ में समायोजित कर निकाली जावेगी।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिये :

(अ) कुल आय की गणना में वनोपज के सम्बन्ध में वन अपराधों में की गई जप्तियाँ (जो अपराध भूमि स्वामी ने नहीं किये हों) के राजसात् से प्राप्त कीमत होगी उसमें से सूचना देने वाले को कोई पारितोषिक दिया होगा वह घटाये जाने के बाद शेष राशि बचेगी, वह होगी।

(ब) कुल खर्च में निम्न खर्च सम्मिलित किये जावेंगे -

(i) कुल आय का 20 प्रतिशत राज्य सरकार को पर्यवेक्षण व्यय (Supervision Charges) के रूप में देय होगा।

(ii) ऐसे वन के राज्य सरकार के प्रबन्ध में आने की तिथि के पश्चात् भूमि स्वामी द्वारा ले जाई गई वनोपज की कीमत या कोई अर्जित लाभ।

(iii) वन प्रबन्ध के सम्बन्ध में वन-विभाग के कर्मचारियों को दिये गये वेतन एवं अन्य भत्ते।

(iv) ऐसे अन्य आकस्मिक व्यय, जो वन अधिकारी द्वारा किये गये हों जिनमें वन-उपज (Article) के संग्रहण, परिवहन या विक्रय का व्यय तथा वन-उपज के जप्त (forfeit), या राजसात (Confiscate) का व्यय सम्मिलित होगा।

धारा 37. कुछ अवस्थाओं में वनों का स्वत्व हरण - (1) इस अध्याय के अधीन ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार यह समझती है कि वन या भूमि को वन अधिकारी के नियन्त्रण में रखने के बजाय उसे लोक प्रयोजन के लिये अर्जित किया जावे, तब राज्य सरकार, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबंधित रीति से उसे अर्जित करने के लिये कार्यवाही कर सकेगी।

(2) धारा 35 में समाविष्ट किसी अधिसूचना की तारीख से अन्यून तीन वर्षों में या अनधिक बारह वर्ष के अन्दर किसी भी समय भूमि स्वामी यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा वन या भूमि यदि लोक प्रयोजन के लिये अर्जित की जाना आवश्यक हो तो राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि को अर्जित कर लेगी।

धारा 38. स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण - (1) किसी भूमि का स्वामी, या उसके एक से अधिक स्वामी हैं, तो उनमें से कम से कम दो तिहाई अंशों के स्वामी, इस दृष्टि से कि इस भूमि पर रोपण या संरक्षण किया जावे, कलेक्टर को अपनी इस इच्छा का लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा या कर सकेंगे कि -

(क) हमारी ओर से ऐसी भूमि का आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में, वन अधिकारी द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन जो परस्पर करार पाये जावें प्रबन्ध किया जावे।

(ख) इस अधिनियम के सब उपबन्ध या कोई उपबन्ध (Provisions) ऐसी भूमि को लागू कर दिए जावें।

(2) दोनों में हर अवस्था में, राज्य सरकार ऐसी भूमि को इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू कर सकेगी जिसे वह ऐसी भूमि की परिस्थितियों में उचित समझते हों और जो आवेदकों द्वारा वांछित हो।